संख्या-1251/18-4-10-10(बजट)/07

प्रेषक,

राम किशोर,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एंव निदेशक उद्योग
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल,2010

विषय-त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 563.00 लाख के सापेक्ष वर्ष के प्रथम छः माह के व्यय के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या-09/निर्यात-22/पत्रा-1/बजट/2010-11 दिनांक 07.04.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 में प्राविधानित धनराशि रूपये 5,63,00,000.00 (रूपये पॉच करोड़ तिरसठ लाख मात्र) में से वर्ष के प्रथम छः माह के व्यय के लिए धनराशि रू0 2,81,00,000.00 (रूपये दो करोड़ इक्यासी लाख मात्र) जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0	उप मदें	धनराशि लाख रू0 में
1.	(अ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता (ब) राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता	130.00 12.00
2.	गेट वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान	130.00
3.	निर्यातकों की क्षमता का विकास	2.00
4.	अध्ययन सर्वे ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकडे उपलब्ध कराना।	2.00
5.	निर्यात पुरस्कार	5.00
	योग	281.00

के व्यय के लिए निम्नांकित शर्तो पर उद्योग निदेशक उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी द्वारा सुनियोजित कार्य में व्यय के लिए वास्तविक मांग पर यथा आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी।

2. स्वीकृत धनराशि केवल स्वीकृत योजना में योजना के उपखण्डों में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के कियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

2/.....

3. योजना का कार्यान्वयन एवं इस सम्बधं में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित कराने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 एंव शासन को प्रपत्र बी–एम–13 में पूर्णता भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एंव निर्यात प्रोत्साहन) के लेखा शीर्षक–"2851–ग्राम तथा लघु उद्योग– आयोजनागत–800–अन्य व्यय, 13– त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना, 27– सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/ दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु सचिव।

संख्या–1251 /18–4–10–10(बजट)/07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा– I) सी0ए0एस0एस0–3/टी0डी0ए0 कोऑर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार (लेखा/हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
6. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8. लघु उद्योग अनुभाग–3/वित्त ई–6/वित्त–आय व्ययक अनुभाग–1/ नियोजन अनुभाग–4
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव।